कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : कूका बनाम विपक्षी : वजाराम वगैरह

किस्म मुकदमा – आदेश 39 नियम 2 ए जा.दी. पत्रावली संख्या : 153/18

जीसीएमएस नम्बर : 2018/00327

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 28.03.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी पर बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 217/16 उनवान कुका बनाम वजाराम में निर्णय दिनांक 08.06.2017 को पारित कर आदेश दिए गए थे कि मौजा तुलसीदासजी की सराय पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 465, 1243/464 किता 2 रकबा 7 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीण वादी की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करें, निर्माण कार्य नही करें। वादी को उसकी भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा मौके के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत कर अपने प्रार्थना पत्र को साबित कराने का प्रयास किया है। परन्तु प्रार्थी यह साबित कराने में असफल रहा है कि फोटोग्राफ्स में अंकित निर्माण किसके द्वारा गया है। उक्त निर्माण कार्य कब करवाया गया है। निर्माण कार्य न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन के बाद ही किया गया है या पहले किया गया है। उक्त तथ्य स्पष्ट नही है। क्योंकि प्रार्थी द्वारा इसके संबंध में कोई साक्ष्य/स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नही किये। जिससे यह प्रतित होता हो कि उक्त निर्माण कार्य स्थगन के बाद ही किया गया है तथा विपक्षीगण द्वारा किया गया है। इस प्रकार न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना किया जाना प्रतीत नही होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए जा.दी. खारिज योग्य पाया जाता है। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए जा.दी. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। (रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:39:26 IST
Reason: SelfAttested